अनुसूची 14– फारम सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीखः– ~~08.04.2021 से 06.07.2021~~ 18/11/22 से 20/11/2022

जिला– बोकारो, संख्याः– ~~01/2021–22~~ 04

केस का प्रकारः– विविध वाद

आदेश की कम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	बिनोद तुरी पिता रामसेवक तुरी, ग्राम– चपरी, थाना– नावाडीह का आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा सूचित किया गया है कि मौजा चपरी, थाना सं0 73, खाता सं0 76, प्लॉट सं0 1383, रकबा 0.10 ए0 जमीन मेरे पूर्वज शिवम तुरी के नाम से बन्दोबस्त है तथा वर्ष 2005 तक लगान रसीद निर्गत है जो अभी मेरे दखल में है परन्तु 1. संतोष तुरी पिता स्व0 फौगना तुरी 2. अलखु तुरी पिता स्व0 मानिक तुरी दोनों ग्राम चपरी, थाना नावाडीह, जिला बोकारो द्वारा मेरे जमीन पर अतिकमण किया जा रहा है तथा लेबर लगा कर बुनियादी कटवा रहा है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक से प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक 20/11/22 को उपस्थापित करें। Sinha 18/11/22 अंचल अधिकारी, नावाडीह। अभिलेख उपस्थापित। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्राप्त हुआ। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा चपरी, थाना सं0 73, खाता सं0 76, प्लॉट सं0 1383, कुल रकबा 18.00 ए0 मध्ये रकबा 0.10 ए0 भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है उक्त भूमि के वर्त्तमान रैयत आवेदक के पूर्वज शिबन तुरी पिता सोमर तुरी है उक्त भूमि से संबंधित आवेदक के पास वर्ष 1937 का हुकुमनामा आमिन फर्द रिपोर्ट तथा निर्गत रसीद है रसीद वर्ष 2009–10 तक निर्गत है। द्वितीय पक्ष के रैयत संतोष तुरी पिता स्व0 फौगना तुरी तथा अलखु पिता स्व0 मानिक तुरी, ग्राम चपरी, थाना नावाडीह, जिला बोकारो के निवासी है स्थानीय जाँच से पाया है कि उक्त भूमि पर जबरन बुनियाद खोदकर मकान निर्माण का कार्य कर रहा है मना करने तथा रोक लगाने पर भी कार्य कर रहा है। मकान निर्माण पर रोक लगाने तथा मूल कागजात की जाँच हेतु दोनों पक्षों को अंचल कार्यालय से नोटिस तामिला किया जा सकता है। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल अमीन तथा प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। नामित व्यक्ति को कागजात के साथ उपस्थित होने का नोटिस निर्गत करें। हल्का राजस्व उपनिरीक्षक वाद की अंतिम सुनवाई तक निर्माण कार्य पर रोक लगायें। Sinha 20/11/22 अंचल अधिकारी, नावाडीह।	

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या एवं तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	तदनुसार नोटिस निर्गत किया गया। अभिलेख दिनांक 22.11.2022 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, नावाडीह। अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष उपस्थित परन्तु उनके द्वारा भूमि पर दावे से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा भी कोई ऐसा दस्तोवज आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया है जिससे भूमि पर उनका दावा सिद्व होता हो। चूँकि वर्णित भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है किस्म जंगल है एवं दोनों पक्षों द्वारा वैध बंदोबस्ती से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त सरकारी भूमि से दोनों पक्षों को हटने के आदेश दिया जाता है। इसके साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी, नावाडीह।	

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINHA
Date: 2023.01.25 20:56:20 +05:30
Location: 192.168.85.197

Scanned with CamScanner